



प्रेषक,

कपिल देव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 04 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत खादी बोर्ड की वित्त पोषित इकाईयों के लाभार्थियों हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना) हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-159/खा0ग्रा0बो0/प्रशि0अनु0/कार्ययोजना पत्रा0/2026-27, दिनांक 20.04.2026 द्वारा प्रेषित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को वित्त पोषण से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख मात्र) में से प्रथम किश्त की धनराशि रु0 17.50 लाख (रूपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र खादी बोर्ड द्वारा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-159/खा0ग्रा0बो0/प्रशि0अनु0/कार्ययोजना पत्रा0/2026-27, दिनांक 20.04.2026 में संलग्न की गयी कार्ययोजना के अनुसार ही उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।
- (7) योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास हेतु लाभार्थियों का चयन, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित/ स्वीकृत/वित्त पोषित इकाईयों/ लाभार्थियों का किया जायेगा।
- (8) उक्त धनराशि का मासिक व्यय प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अधिकारियों द्वारा प्रपत्र बी-एम-8 में दो प्रतियों में शासन व सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन को प्रति माह उपलब्ध कराया जायेगा।
- (9) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एवं आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (10) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी/प्रत्येक प्रशिक्षक का प्रत्येक सत्र का प्रतिदिन का डिजिटल फोटोग्राफ संरक्षित किया जायेगा तथा उनके मोबाइल नम्बर/आधार नम्बर भी संरक्षित किये जायेंगे।
- (12) व्यवहारिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत उद्यमिता विकास हेतु लाभार्थियों का चयन निम्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा:-
 - मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार (एम.एम.जी.आर.वाई.) योजना के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।
 - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), भारत सरकार योजनान्तर्गत के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।
 - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), भारत सरकार योजनान्तर्गत वे लाभार्थी जिनका ऋण बैंको के द्वारा स्वीकृत/वितरित कर दिया गया है, उनका उद्यमिता विकास प्रशिक्षण खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये धनराशि से किया जायेगा। समस्त प्राचार्य, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र ऐसे समस्त लाभार्थियों का प्रशिक्षणोपरान्त रिक्यूपमेंट खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार से प्राप्त करेंगे जिनका ऋण बैंकों के द्वारा स्वीकृत/वितरित कर दिया गया है।
 - अन्य खादी एवं ग्रामोद्योगी योजनाओं के लाभार्थियों को भी उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(13) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति आख्या, संकाय का नाम, दिये गये मानदेय का विवरण फोन नम्बर सहित एवं प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,50,000 (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-005 लेखा शीर्षक 2851001051100 खादी बोर्ड की वित्त पोषित इकाइयों की व्यवहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना) मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कपिल देव
अनु सचिव।

संख्या-35/2026/211(1)/59-2-2026/001-1816056 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 4- वित्तीय सलाहकार, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कपिल देव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।